रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082021-229184 CG-DL-E-23082021-229184

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 471] No. 471] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 23, 2021/भाद्र 1, 1943 NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 23, 2021/BHADRA 1, 1943

## महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 583(अ).—केंद्रीय सरकार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 2 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 68 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा निर्मित दत्तकग्रहण विनियमन, 2017 में किए गए संशोधनों को अधिसूचित करती है, अर्थातु -

- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम दत्तकग्रहण (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 है;
  - (2) यह अधिसूचना प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
- 2. दत्तकग्रहण विनियमन, 2017 में, विनियम 40 में, उप-विनियम (7) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम को अंत:स्थापित किया जाएगा:-

"(7क) जब दत्तकग्राही माता-पिता दत्तकग्रहण के दो वर्षों के भीतर बच्चे को किसी अन्य देश में लेकर जाते हैं, तो दत्तकग्राही माता-पिता को कम से कम दो सप्ताह पहले लिखित सूचना के माध्यम से नए स्थान पर उनके पूर्ण संपर्क विवरण सहित प्रस्थान और आगमन को देश में संबंधित भारतीय राजनयिक मिशन को सूचित करना होगा और उसके बाद, दत्तकग्रहण किए गए बच्चे के संबंध में दत्तकग्रहण विनियमन, 2017 के अधीन सौंपे गए सभी दायित्वों का निर्वहन करना उस देश के भारतीय मिशन का उत्तरदायित्व होगा, जिस देश में बच्चा ले जाया गया है।"

[फा.सं. सीडब्ल्यू-II-26/38/2020-सीडब्ल्यू-II] आस्था सक्सेना खटवानी, संयुक्त सचिव

4693 GI/2021 (1)

# MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2021

- **G.S.R. 583(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (c) of section 68 read with clause (3) of section 2 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the Central Government hereby notifies amendments to the Adoption Regulations, 2017, made by the Central Adoption Resource Authority, namely -
- 1. (1) These regulations may be called the Adoption (First Amendment) Regulations, 2021;
  - (2) They shall come into force on the date of publication of this notification.
- 2. In the Adoption Regulations, 2017, in regulation 40, after sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-
- "(7A) Where the adoptive parents move with the child to some other country within two years of adoption, the concerned Indian Diplomatic Missions in the country of departure and arrival, shall be intimated at least two weeks in advance through a written communication by the adoptive parents with their full contact details at the new place and thereafter, it shall be the responsibility of the Indian Mission of the country to which the child has moved, to perform all the assigned duties under the Adoption Regulations, 2017 in respect of the adopted child."

[F.No. CW-II-26/38/2020-CW-II] AASTHA SAXENA KHATWANI , Jt. Secy.